

## CPSE के लिये संशोधित लाभांश दिशान्देश

**स्रोत: द द्रिष्टि**

हाल ही में, **नविश और सार्वजनिक संपत्ति परबंधन विभाग (DIPAM)** ने **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE)** के लिये संशोधित दिशान्देश पेश किये हैं, जिसमें **कर के बाद लाभ (PAT) का 30% या नविल मूल्य का 4%**, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश भुगतान अनिवार्य किया गया है।

- इससे पहले, **2016 के दिशान्देशों** में यह निर्धारित किया गया था कि लाभांश भुगतान **कर के बाद लाभ (PAT) का 30% या नविल मूल्य का 5% होना चाहिये**, जो भी अधिक हो।
  - ये दिशान्देश CPSE की उन सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे जिनमें मूल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की **हिससेदारी 51% से अधिक** है।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे CPSE जिनका बाजार मूल्य छह महीने से बुक वैल्यू से कम है और जिनकी नेटवर्थ **कम से कम 3,000 करोड़ रुपए** है, वे **शेयर बायबैक** पर विचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे **बोनस शेयर** जारी कर सकते हैं, जब रज़िर्व उनकी चुकता इक्विटी से 20 गुना अधिक हो।
  - **शेयर बायबैक** किसी कंपनी द्वारा शेयर बाजार से अपने शेयरों का पुनः अधिग्रहण है।
  - **बोनस शेयर**, मौजूदा शेयरधारकों को बना किसी अतिरिक्त लागत के दिये जाने वाले अतिरिक्त शेयर होते हैं, जो उनके वर्तमान में रखे गए शेयरों की मात्रा पर आधारित होते हैं।
- **DIPAM** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में वनिविश और इक्विटी बिक्री सहित केंद्र सरकार के नविशों का प्रबंधन करता है।

अधिक पढ़ें: [सार्वजनिक उद्यम विभाग](#)